संख्या-131/2022/2683/26-3-2022

प्रेषक

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें

निदेशक

समाज कल्याण

उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 21 दिसम्बर 2022

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय सकरौरा-गोण्डा हरदौली-बॉदा एवं तरसड़ा-वाराणसी में ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण हेतु अन्तिम किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3563-66/स.क./ए0टी0एस0-सेल(137)/गोण्डा-बॉदा-वाराणसी ट्रांजिट हास्टल/2022-23, दिनांक-07.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, सकरौरा जनपद-गोण्डा, हरदौली जनपद-बांदा एवं तरसड़ा जनपद-वाराणसी में ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ्स एवं थर्ड पार्टी जॉच रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुये अवशेष/अन्तिम किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, सकरौरा जनपद-गोण्डा, हरदौली जनपद-बांदा एवं तरसड़ा जनपद-वाराणसी में ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण हेतु अन्तिम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0-323.005 लाख (रू0-तीन करोड़ तेईस लाख पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नवत् तालिका के स्तम्भ-7 के अनुसार श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख में)

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	आगणित धनराशि	प्रथम/द्वितीय किश्त के रूप में पूर्व में जारी धनराशि		स्वीकृति हेतु निर्गत अन्तिम किश्त की धनराशि
				शासनादेश संख्या	निर्गत धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय , सकरौरा, जनपद-गोण्डा	यू0पी0 सिडको	283.59	1- शासनादेश संख्या-46/2018/3309/26-3-2017-15(विविध/(2018 दिनांक-15-03-2018	प्रथम किश्त रू0-141.79	85.09

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

				2- शासनादेश संख्या-11/2021/3415-26-3-2020-15(विविध)/2018, दिनांक-22-01-2021	द्वितीय किश्त रू0-56.71	
2	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय , हरदौली, जनपद-बांदा	यू0पी0सी0एल0 डी0एफ0	302.11	शासनादेश संख्या-148/2018/1261/26-3-2019-दिनांक-21-06-2019	प्रथम किश्त रू0-151.00	151.11
3	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय , तरसड़ा, जनपद-वाराणसी	यू0पी0आर0एन0एस0एस0	289.35	1- शासनादेश संख्या-83/2018/921/26-3-2018-23(विविध/(2018 दिनांक-27-03-2018	प्रथम किश्त रू0-144.675	86.805
				2- शासनादेश संख्या-143/2020/2578-26-3-2020-23(विविध)/2018, दिनांक-09-10-2020	द्वितीय किश्त रू0-57.87	
	योग-					**323.005**

(रू0-तीन करोड़ तेईस लाख पांच सौ मात्र)

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

(7)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(8)-धनराशि का आवंटन बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही किया जायेगा।

(9)-प्रश्ननगत कार्यों में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020 दिनांक-12-05-2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)-प्रश्ननगत कार्यों में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020 दिनांक-12-05-2020 के प्राविधानों एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक-11.11.2014 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11)-इस सम्बन्ध में (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 एवं शासनादेश संख्या-23/2022/ बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक-04.11.2022 में वर्णित प्राविधानों प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये-32300500 (रूपये तीन करोड़ तेईस लाख पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखाशीर्षक 4225017890700 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव

पृसं0-131/2022/2683 (1)/26-3-2022 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, गोण्डा, बांदा एवं वाराणसी।
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोण्डा, बांदा एवं वाराणसी।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
10- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0), लखनऊ।
11- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0), लखनऊ।
12- निदेशक, एन0आई0सी0।
13- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।